न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (सेशन न्यायाधीश) मेडता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार बेरीवाल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आप.विविध प्रकरण संख्या 09/2026

सी आई एस संख्या 09/2026

रेवन्तराम पुत्र श्री भगवानाराम, आयु 39 वर्ष, निवासी गोदारों की ढ़ाणी, बारणी, पुलिस थाना सदर नागौर, जिला नागौर।

---प्रार्थी

::विरूद्ध::

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता ...

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 16/2026 पुलिस थाना पादूकलां,
अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/18, 8/25 एन डी पी एस एक्ट।

उपस्थित-

1- श्री अजय सिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2- श्री अभिमन्यु शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

::आदेश::

दिनांक 01.04.2026

1. प्रार्थी रेवन्तराम की ओर से यह आवेदन अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना पादूकलां पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2026 में जप्त शुदा वाहन टाटा ट्रक सं. आरजे- 21 जीई 9697 को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि पुलिस थाना पादूकलां ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2026 के अनुसंधान के दौरान उक्त वाहन को जप्त किया गया है, उक्त वाहन टाटा ट्रक सं. आरजे- 21 जीई 9697 का प्रार्थी पंजीकृत स्वामी है। अनुसंधान में उक्त वाहन की पुलिस को आवश्यकता नहीं है, उक्त वाहन पुलिस थाना पादूकलां में खुले स्थान पर पड़ा है जिससे उसके खराब होने की संभावना है, उक्त वाहन प्रार्थी का रोजगार का एकमात्र साधन है । अत: उसे उक्त वाहन सुपुर्दगी पर

दिये जाने का आदेश पारित करावें।

3. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है, जप्त शुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. दोनों पक्षों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रकरण में दिनांक 22-01-2026 को गायत्री तिराहा, पादूकलां पर दौराने नाकाबंदी डिटेनसुदा वाहन टाटा ट्रक संख्या आरजे- 21 जीई 9697 के चालक रेवन्तराम व खलासी बनवारीलाल के कब्जे से कुल 14 किलोग्राम(प्लास्टिक कट्टे सहित वजन) मादक पदार्थ डोडा पोस्त बिना वैध अनुज्ञा पत्र एवं परमिट के बरामद करना बताया गया है। इस पर पुलिस थाना पादूकलां द्वारा उक्त वाहन को जप्त किया गया। उक्त वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त वाहन प्रार्थी रेवन्तराम के नाम से पंजीकृत है। प्रकरण में जप्त शुदा उक्त वाहन का अन्य कोई स्वामी हो, ऐसा कोई आधार पत्रावली पर नहीं है और न प्रकरण में धारा 8/25 एन डी पी एस एक्ट के तहत आरोप पत्र पेश होने की संभावना है। अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाहन से अनुसंधान पूर्ण होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में वाहन की अन्वेषण में आवश्यकता हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। वाहन के खुले स्थान में पड़े रहने से उसके खराब होने की संभावना है। अत: समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2003 AIR (SC) 638 Sundarbhai Ambalal Desai Vs State Of Gujrat में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में जप्त शुदा वाहन टाटा ट्रक संख्या आरजे- 21 जीई 9697 प्रार्थी रेवन्तराम को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी रेवन्तराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बाबत सुपुर्द किये जाने वाहन टाटा ट्रक संख्या आरजे- 21 जीई 9697 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी की ओर से 30,00,000/- रूपये का जमानतनामा एवं इसी राशि का सुपुर्दगीनामा इन शर्तों के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें कि दौराने मुकदमा वह उक्त वाहन का पंजीयन अन्य किसी व्यक्ति के नाम नहीं करवाएगा, उसमें मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा तलब करने पर स्वयं के खर्चे पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा, वाहन का उपयोग किसी जुर्म कारित करने हेतु नहीं करेगा और न इस हेतु किसी को सुपुर्द करेगा तथा न इस विशिष्ट विधि के तहत किसी मादक पदार्थ के परिवहन करने हेतु अथवा किसी अपराध में प्रयोगित करेगा और न ही किसी अन्य को अनुज्ञात करेगा।

6. थानाधिकारी पुलिस थाना पादूकलां वाहन सुपुर्दगी से पूर्व प्रार्थी के

खर्चे से उक्त वाहन की चारों दिशा से रंगीन फोटोज खिंचवायेगा एवं उक्त फोटोज न्यायालय में पेश करेगा तथा सेशन क्लर्क उक्त फोटोज संबंधित मूल पत्रावली में संलग्न करेगा। बाद तस्दीक सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा प्रार्थी रेवन्तराम पुत्र श्री भगवानाराम, आयु 39 वर्ष, निवासी गोदारों की ढ़ाणी, बारणी, पुलिस थाना सदर नागौर, जिला नागौर को उक्त प्रकरण में जप्त शुदा वाहन टाटा ट्रक संख्या आरजे- 21 जीई 9697 सुपुर्दगी पर दी जावे।

सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।

7. आदेश आज दिनांक 01.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।